01/12/23 पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उप। वादी
का वाद स्वीकार/ अस्वीकार निर्णय पृथक से
लिखाया जाकर आज खुले में सुनाया गया पत्रावली
~~बाद~~ तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 167 / 2013
दिनांक रजु :– 12–08–2013

पीठासीन अधिकारी
श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

उर्मिला देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्रह्मण (लोग्या) निवासी लोग्या की ढाणी वार्ड नं0 13 कस्बा लालसोट जरिये मुख्त्यारआम सुरेन्द्र कुमार वल्द श्री मूलचन्द जाति ब्रह्मण निवासी लोग्या की ढाणी वार्ड नं0 13 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीनी)

बनाम

1. ओमप्रकाश
2. महेश उर्फ मुन्ना
3. बबलू

पि0 बृजमोहन

4. बृजमोहन पुत्र मथूरा लाल

जाति ब्रह्मण निवासी लोग्या की ढाणी वार्ड नं0 13 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 18-12-23

उपस्थित :– श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट – वादीनी की ओर से
प्रतिवादीगण की एकतरफा कार्यवाही

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2627 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि मौजा कस्बा लालसोट मे स्थित है तथा वादीनी इस आराजी की खातेदारी काबिज काश्तकार है। आगे वाद पत्र में इसे आराजी वादग्रस्त ही दर्ज किया गया है। आराजी वादग्रस्त को क्रय करने के बाद वादीनी ने प्रथम फसल मे बाजरा तथा बाद मे गेहू की काश्त बोयी थी। तथा हाल फसल मे वादीनी ने जमीन वादग्रस्त को आगामी फसल के लिए सावणी छोड रखा है हाल समय मे मवेशियो के लिए के

...ड अधिकारी
...जिला दौसा (राज0)

लिए बडा बड़ा घास आराजी वादग्रस्त मे उग रहा है जो मौके पर मौजुद है। प्रतिवादीगण का आराजी वादग्रस्त से कोई सरोकार वास्ता नही है लेकिन उनके मकानात आराजी वादग्रस्त के नजदीक होने की वजह से प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त मे अपने मवेशी घुसा कर चारे का नुकसान करवाते है तथा फसल होने के समय भी मवेशियो से फसल का नुकसान करवाते है तथा मना करने पर आमादा फिसाद हो जाते है। हाल समय में खडे चारे में नुकसार करवाने की गर्ज से दिनांक 06–08–06 को प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी वादग्रस्त मे अपने मवेशी जबरन घुसा दिए जब वादीनी के जेठ श्री मोहनलाल ने उक्त मवेशियो को बाहर निकाला तो प्रतिवादीगण आमादा फिसाद हो गए तथा प्रतिवादीगण ने ऐलानिंया धमकी दी कि हम तो ऐसे ही हमारे मवेशी इस जमीन में घुसा कर चारे का नुकसान करेगे तथा अब आगामी फसल मे तुम्हे यह जमीन भी काश्त नही करने देगें तथा हम स्वयं इस जमीन वादग्रस्त पर कब्जा करेगे। प्रतिवादीगण की इसी बेजा धमकी से विनाय मुखास्मत पैदा होकर अपने हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है। वादीनी के कब्जे काश्त की भूमि वादग्रस्त मे मवेशी घुसा कर नुकसान चारा करवाने का या भूमि वादग्रस्त के काश्त वादीनी मे व्यवधान पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। वादीनी कानूनन मुश्तहक है कि वह प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे की प्रतिवादीगण कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे स्थित वादीनी की कब्जे तथा खातेदारी की आराजी खसरा नं0 2627 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि के कब्जे काश्त व वादीनी मे कोई दखल पैदा न करे न करावे तथा फसल चारा या अन्य फसलो को कोई नुकसान नही पहुंचावें।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट ने अपना वकालतनामा मय जवाब वाद पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीनी नियत कर साक्ष्य बन्द की गई तत्पश्चात प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतू अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजुद दिनांक 14–10–2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली अंतिम बहस हेतू नियत की गई। बहस अन्तिम के समय प्रतिवादीगण एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित नही आये जिस वजह से उनके विरूद्व कार्यवाही एकतरफा कर बहस वादी सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

बहस वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादीनी ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नं0 2627 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट के स्थिति वाद पत्र के चरण संख्या एक में अंकित है पर वादीनी के आधिपत्य मे प्रतिवादीगण व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं आराजी खसरा नं0 2627 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि कस्बा लालसोट तहसील लालसोट मे स्थिति वाद पत्र के चरण संख्या एक में अंकित है जिसकी वादीनी तन्हा खातेदार काश्तकार है जिस वजह से वादीनी का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 2627 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाकै कस्बा लालसोट वाली में प्रतिवादीगण वादीनी के आधिपत्य मे दखलअन्दाजी, बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने से स्वयं अपने परिवारजन एवम अपने सेवको साथियो सहित प्रतिबन्धित रहे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट